

भारतीय भाषा संस्थान

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

हुणसुर रोड, मानसंगोत्री, मैसूर- 570 006

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति की घोषणा

1. परिचय:

भारतीय भाषा संस्थान (भा.भा.सं.) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय भाषाओं के समृद्धिकरण हेतु स्थापित एक शीर्ष संस्थान है। यह भाषा नीतियों और उससे संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को सलाह और सहायता देता है। देश की विविध भाषाओं, शिक्षा के स्तर और कई उद्देश्यों से जुड़ी विभिन्न मूल्यांकन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रायः इस संस्थान से परामर्श लिया जाता है।

अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, भा.भा.सं. प्रतिवर्ष दो (02) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करके भाषा संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। चयनित अध्येताओं से इस संस्थान के विजन स्टेटमेंट से संबंधित विषयों पर काम करने की अपेक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में, अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं से ऐसे शोध की अपेक्षा की जाती है जो भाषाविज्ञान और भारतीय भाषाओं से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण डेटा या नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकें।

2. अध्येतावृत्ति योजना के उद्देश्य:

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति का सामान्य उद्देश्य उन लोगों को अवसर प्रदान करना है जिन्होंने पहले से ही भाषाविज्ञान एवं भारतीय भाषाओं में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान में उत्कृष्ट शोध पूरा किया हुआ है और उपरोक्त क्षेत्र में सैद्धांतिक तथा वैचारिक उन्नति में योगदान देंगे तथा इसके माध्यम से प्रयोगाश्रित क्षेत्र-कार्य के द्वारा डाटा तैयार करेंगे तथा जो निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में नीति निर्माण में योगदान दे सकेंगे:

भारतीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान आदि को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

- i. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) और 12(b) के अंतर्गत सम्मिलित विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय।
- ii. यू.जी.सी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत ऐसे डीम्ड विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी से सहायता अनुदान के पात्र हैं।
- iii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय।
- iv. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

और विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- अ) योग्य शोधार्थियों को भाषाविज्ञान और उससे संबंधित विषयों तथा भारतीय भाषाओं के विषयगत दृष्टिकोणों पर शोध करने का अवसर प्रदान करना है।
- ब) पूर्णकालिक आधार पर समसामयिक भाषाविज्ञान और भाषाओं से संबंधित ज्ञान का आधार बनाने और संस्थान की अनुसंधान परियोजनाओं, विशेषतः भा.भा.सं. और इसकी परियोजनाओं द्वारा पहचाने गए अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में से खुद को संलग्न करना होगा।

3. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति का क्षेत्र:

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति का उद्देश्य शोधार्थियों को भाषाविज्ञान, भारतीय भाषाओं से संबंधित विषयों में शोध करने में सक्षम बनाना है। वरिष्ठ अध्येताओं से भा.भा.सं. में रहकर अपने शोध को आगे बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात अपने क्षेत्र- कार्य/सेमिनार/सम्मेलन या किसी अन्य उचित शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

संस्थान समस्या की अवधारणाओं हेतु मौलिक सोच और भाषा शिक्षा से संबंधित शोध में नवाचार पद्धति के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

4. वरिष्ठ अध्येता के लिए पात्रता:

- 4.1 आवेदन के समय शोधार्थी के पास भाषाविज्ञान/किसी भी भारतीय भाषा में डॉक्टरेट उपाधि के साथ उत्कृष्ट शोध प्रकाशन होना चाहिए।
- 4.2 भा.भा.सं. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास डाक्टरेट उपाधि के साथ भाषाविज्ञान और भारतीय भाषाओं में विशेषज्ञता होने के साथ प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। भाषाविज्ञान और उससे संबंधित विषयों तथा भारतीय भाषाओं में समकक्ष भारतीय विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ विद्वान/शिक्षाविद, जिन्हें पुस्तकों/शोध-पत्रों/रिपोर्टों के प्रकाशन का अनुभव है, आवेदन कर सकते हैं।
- 4.3 अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम दो वर्ष है।
- 4.4 पेंशन संबंधी लाभों के इतर अध्येतावृत्ति की राशि 40,000/- रुपये प्रति माह और आकस्मिक अनुदान 40,000/- रुपये प्रति वर्ष है।
- 4.5 वेतन भोगी, शोधार्थी अपने मूल संस्थान में स्वीकार्य वेतन और भत्ते के अतिरिक्त 40,000/- रुपये प्रति वर्ष के आकस्मिक अनुदान का हकदार है।

5. अन्य शर्तें:

- 5.1 भा.भा.सं. से वरिष्ठ अध्येतावृत्ति स्वीकार करते समय, अध्येता को किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से कोई अन्य अध्येतावृत्ति नहीं लेनी होगी।
- 5.2 सेवारत आवेदकों को आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 5.3 प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर सभी वरिष्ठ अध्येताओं को एक सेमिनार प्रस्तुत करना होगा।
- 5.4 अध्येतावृत्ति के दौरान, शोध अध्येताओं को किए गए शोध के विषय पर कम से कम दो शोध-पत्र (एक अनुक्रमित जर्नल में और एक प्रबंध/पुस्तक) में प्रकाशित करना होगा।
- 5.5 आवधिक/समय-समय पर अध्येता द्वारा किए गए अनुसंधान की समीक्षा की जाएगी और यदि शोध में प्रगति असंतोषजनक पाई गई तो संस्थान द्वारा दी जा रही अध्येतावृत्ति बंद कर दी जा सकती है।
- 5.6 शोधार्थी को अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान शोध-कार्य से संबंधित अपने सभी शोध प्रकाशनों में सहायता प्रदान करने के लिए भा.भा.सं.के प्रति आभार व्यक्त करना होगा और इसकी एक प्रति संस्थान में जमा करनी होगी।
- 5.7 प्रथमतः अध्येतावृत्ति अध्येता के संस्थान में कार्यग्रहण की तारीख से एक वर्ष के लिए (योग्य उम्मीदवारों के लिए यह अवधि अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है) या प्रबंध/पुस्तक/शोध रिपोर्ट जमा करने की तारीख जो भी पहले हो मान्य होगी।

- 5.8 अंतिम तीन महीनों की अध्येतावृत्ति राशि और अंतिम तिमाही में देय आकस्मिक राशि शोध के संतोषजनक समापन और मूल्यांकन के लिए संस्थान में शोध रिपोर्ट जमा करने के उपरांत ही जारी की जाएगी।
- 5.9 कोई भी अध्येता एक ही प्रकार की अध्येतावृत्ति के लिए एक बार ही हकदार होगा।
- 5.10 आकस्मिक अनुदान का उपयोग पुस्तकों, स्टेशनरी, ई-सामानों की खरीद और अनुसंधान से संबंधित क्षेत्र-कार्य में व्यय के लिए किया जा सकता है।
- 5.11 आकस्मिक अनुदान से अध्येता द्वारा खरीदी गई पुस्तकें/पत्रिकाएँ/उपकरण संस्थान में जमा करने होंगे। इस संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.12 अध्येता द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट संस्थान द्वारा मूल्यांकन के पश्चात ही संतोषजनक मानी जाएगी।
- 5.13 बिना कोई कारण बताए अध्येतावृत्ति वापस लेने/रद्द करने, किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है। दिशा-निर्देशों की व्याख्या या ऊपर छूट गए/अकथित किसी भी अन्य मुद्दे से संबंधित अंतिम अधिकार निदेशक, भा.भा.सं. के पास सुरक्षित है।

6. चयन प्रक्रिया:

चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा, जिसमें प्रस्तावों की प्रस्तुति भी शामिल है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को सबसे छोटे मार्ग से AC II टियर ट्रेन के किराए का भुगतान किया जाएगा।

7. आरक्षण:

आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू होगा।

8. अध्येतावृत्ति संवितरण:

संस्थान मासिक आधार पर पी.एफ.एम.एस/ऑनलाइन माध्यम से अध्येता(ओं) के खाते में अध्येतावृत्ति अंतरित करेगा। इसके लिए सभी अध्येताओं को संस्थान में तिमाही आधार पर 'उपस्थिति और संतोषजनक प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र' की रिपोर्ट भा.भा.सं. में जमा करना होगा। दूसरी तिमाही से मासिक अध्येतावृत्ति का संवितरण/जारी उपरोक्त प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के उपरांत ही होगा। अध्येता(ओं) द्वारा प्रति वर्ष किए गए वास्तविक व्यय का भुगतान अध्येता(ओं) द्वारा हस्ताक्षरित तथा शोध पर्यवेक्षक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा

प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरांत ही अध्येता द्वारा जमा किए गए बिलों/बाउचरों की जाँच के बाद ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान से इसे अध्येता के खाते में अंतरित किया जाएगा।

9. कार्य की जाँच:

वरिष्ठ अध्येताओं को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी, अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना, भा.भा.सं., को प्रस्तुत करनी होगी। एक विशेषज्ञ समिति प्रगति की समीक्षा करेगी। साथ ही, प्रतिवर्ष एक शोध परिसम्मेलन आयोजित किया जाएगा जहाँ अध्येता अपने शोध की प्रगति प्रस्तुत करेंगे। यदि शोध की प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है, तो भा.भा.सं. किसी भी समय अध्येतावृत्ति समाप्त कर सकता है।

10. अवकाश के नियम:

भा.भा.सं. की परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के छुट्टी संबंधी में दिशा-निर्देशों के अनुसार ही अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान छुट्टी दी जाएगी।

11. प्रबंध/पुस्तक/शोध रिपोर्ट का प्रकाशन:

शोध कार्य पूरा होने के पश्चात, वरिष्ठ अध्येता प्रबंध/पुस्तक/शोध रिपोर्ट, शोध परियोजना रिपोर्ट (सॉफ्ट-कॉपी के साथ) के साथ एक हार्ड बाउंड कॉपी संस्थान में जमा करनी होगी। भा.भा.सं. पूर्ण शोध को उचित रूप में प्रकाशित करने पर विचार करेगा। अध्येता अपने कार्य को स्वयं प्रकाशित करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है।

12. आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए कृपया भा.भा.सं. के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल <https://apply.ciil.org/> पर 21 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में, पूर्ण रूप से भरे आवेदन fellowships.ciil@gmail.com पर 21 मई 2024 तक ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव की प्रतियों के अतिरिक्त आवेदन के साथ प्रस्तावित शोध विषय पर लगभग 2500-3000 शब्दों का सारांश होना चाहिए, जिसमें (ए) शोध का औचित्य और उद्देश्य, (बी) संरचनात्मक अवधारणा (सी) प्रस्तावित पद्धति, और (डी) शोध का संभावित योगदान सम्मिलित हो। ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल 21 मई 2024 तक खुला है।

निदेशक, भा.भा.सं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

प्रभारी अधिकारी

अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना

भारतीय भाषा संस्थान,

हुणसुर रोड, मानसगंगोत्री,

मैसूरु- 570 006

कर्नाटक, भारत

फ़ोन: 0821-2345087

ईमेल: fellowships.ciil@gmail.com